

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक -एफ-2 (क)/9/08/बी-3/दो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2010

1. पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. संचालक
लोक अभियोजन संचालनालय,
भोपाल ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश ।
4. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

विषय- जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिये जाने बाबत ।

संदर्भ- इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक समसंख्यक -एफ-2 (क)/9/08/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 11.10.2004

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया अवलोकन करें, जिसके द्वारा जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये गये थे। प्रदेश में नये जिलों के गठन होने के पश्चात थाना मुख्यालय के दूसरे जिले में चले जाने से राजस्व जिले के कुछ गांव दीगर पुलिस जिले में चले गये हैं । इस कारण कुछ गांवों का राजस्व और पुलिस जिला पृथक-पृथक हो गया है ।

2. उक्त विसंगति को दूर करने के लिये संदर्भित आदेश के अनुक्रम में निम्नानुसार अधिकार भी जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित किये जाते हैं -

- (i) जिले के भीतर स्वीकृत थाने की सीमा का निर्धारण ।
- (ii) नये जिले के गठन के पश्चात राजस्व जिले की सीमा में स्थित समस्त गांव, जिनके थाना मुख्यालय जिला विभाजन के कारण

दूसरे जिले में चले गये हैं, को सजसब जिले की सीमा के अन्दर के समीप के थाले में शामिल करने की कार्यवाही ।

(iii) राज्य शासन द्वारा जारी की गयी सतीकृति आदेश जारी होने के परवाह नये जिले के निर्धारण का विचारण ।

3. उपरोक्तानुसार मठित-जिले के अन्तर्गत उपरान्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2, खण्ड-एस के अन्तर्गत प्रयोग करने के लिये जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उप-सचिव भी घोषित किया जाता है ।

4. उपरोक्त अनुसार सीमाओं के निर्धारण की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में कराया जाये ।

संलग्न-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

A 28.7.10
(अमिल कुमार)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग, मंत्रालय

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

मध्यप्रदेश शासन
गृह ~~पुलिस~~ विभाग
मंत्रालय


क्रमांक एफ 2११/15/99/बी-3/दो

भोगाल दिनांक 11-10-04

पुति,

- १११ पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश भोगाल ।
- १२१ संचालक,
लोक अभियोजन
संचालनालय,
भोगाल ।
- १३१ समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश ।
- १४१ समस्त जिला कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।
- १५१ समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश प्रदेश ।

विषय:- जिले के भीतर धानों/ चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार
जिला कलेक्टर समिति को दिये जाने वाक्य ।



जिले के भीतर स्वीकृत धाना/ चौकी की सीमाओं का निर्धारण वर्तमान
में गृह विभाग द्वारा किया जाता है । राज्य शासन द्वारा अब यह अधिकार
जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की
समिति को प्रत्यायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

१२१ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का स0 2 की धारा-2 के खण्ड-एच,
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत
किया जाता है तथा उन्हें अधिसूचना जारी करने के लिए उम सचिव भी घोषित
किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
अदेशानुसार

मि.का.
१ मिलिन्द्र कान्कर १

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृहपुलिस विभाग मंत्रालय